ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट नं. 1, नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर–201308, उ0प्र0
वेबसाइट: www.greaternoidaauthority.in ई–मेल: authority@gnida.in

पत्रांक–ग्रे0नो0 / बिल्डर्स / 2019 / 292 दिनांक: 11.12.2019

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2019 को पारित आदेश में प्रदेश सरकार से होम बायर्स के पक्ष में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये थे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं एन0सी0आर0 क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ग्रुप हाउसिंग / बिल्डर्स स्कीम में बिल्डर्स / डेवलपर्स द्वारा फ्लैट एवं भूखण्ड आवंटियों को कब्जा प्रदान न किये जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 3804 / 77-4-19-142 एन / 08 दिनांक 05.12.2019 के माध्यम से नौएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शून्य काल (Zero Period) दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित ग्रुप हाउसिंग / बिल्डर्स स्कीम के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप शून्य काल (Zero Period) नीति का लाभ उठाने के लिये दिनांक 04.02.2020 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में लिखित रूप में अथवा Email:santoshkr@gnida.in पर आवेदन करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्र / प्रत्यावेदन पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा।

(संतोष कुमार)
विशेष कार्याधिकारी (बिल्डर्स)

Follow Us On /OfficialGNIDA